

फद अहकाम

अज्ञीश निरापण बनाम गोपाललाल वर्मा

म न्यायालय AC-II

स संख्या 47/2013

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/10/22	<p>फावली वाले ओदेश पर हुई वकील उमयपत्र अपण। प्रा. पर 15 CPC का अपलोड किया जाऊँगा फावली वाले पर फलित नकरा वाद संख्या 391/19 (नया वाद सं. 6/2011) का अपलोड किया जाऊँगा उक्त वाद का अपलोड किया गया। उक्त वाद को न्यायालय ओदेश दिनांक 11/11/2018 के द्वारा धारा 10 CPC का प्रा. पर खीर किया जाऊँगा माननीय न्यायालय में विचारणीय वाद संख्या 06/2011 (नया वाद सं. 391/19) को कलकत्ता नाम अज्ञीश वर्मा के निर्णय होने तक अज्ञीश को फावली को स्थगित किया गया था। उक्त वाद संख्या 06/2011 (नया वाद सं. 391/19) को माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17/3/20 के द्वारा यह कथन अंतिम करने हुए स्पष्ट किया है कि वाद प्राप्त भूमि का अज्ञीश व शपणा किराई सं. न्यायालय को नही देना। वे वकील द्वारा नही देना के वाद पर किया है। अज्ञीश माननीय न्यायालय में विचारणीय वाद संख्या 391/19 (पुराना वाद संख्या 06/2011) के उक्त वाद में वर्तित पक्षकारों व वाद प्राप्त भूमि से माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद प्राप्त भूमि का वाद खारिज का किया है तो इसी वाद प्राप्त भूमि के वाद को सुनवाई किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः माननीय न्यायालय के वाद संख्या 391/19 (पुराना वाद सं. 06/2011) के सुनवाई में इस वाद को भी खारिज किया जाता है। फावली के भी खारिज कर देना के काम के लिए सुनवाई के लिए न्यायालय को सूचित किया जाऊँगा।</p>	



न्यायालय के लिये  
न्यायाधीश